

LAND CONVERSION DOCUMENTS

प्रारूप-(ख)

(देखिए नियम 9 (3), (4) और (6)

कार्यालय जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांक :-एफ12(3)(120)राजस्व/13/ 5287 दिनांक :- .02-08-2014

-: संपरिवर्तन आदेश :-

प्रार्थी शाह सतनाम जी गर्ल्स कालेज श्री गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृति में धारित भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम-2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन (शैक्षणिक) के लिए संपरिवर्तित किया जाता है । जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:-

Your paragraph text

1-आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम,पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	शाह सतनाम जी गर्ल्स कालेज श्री गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ
2-क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3-संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :- (क) ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	चक 26 एम.ओ.डी. , ग्राम पंचायत गुरुसर मोडिया , तहसील सूरतगढ ।
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हैक्टर/बीघो में)	40 नं0 15/260 के किला नं0 22 की कुल 0.253 हैक्टर Your paragraph text
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल में उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर/बीघा में)	40 नं0 15/260 के किला नं0 22 की कुल 0.253 हैक्टर
4 संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक
5 संदेय प्रीमियम की दर	रुपये 5/- प्रति वर्गमीटर
6 चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या 395 दिनांक 04.07.2014 के द्वारा प्रीमियम राशि रुपये 12650/- नद 0029 में जमा कराये गये ।
7 चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
8 चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज,यदि कोई हो,की जमा कराई गई रकम ।	नहीं


जिला कलेक्टर
श्री गंगानगर

LAND CONVERSION DOCUMENTS

9 क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है ।	नहीं
10 अन्य विशिष्टियां,यदि कोई हो ।	नहीं

11-उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (1)उपर्युक्त अकृषिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।
- (2) आवेदक को इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करना होगा । यदि आवेदक पांच वर्ष की अवधि में संपरिवर्तित प्रयोजन के उद्देश्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं कर पाता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जाएगा ।
- (3) नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।
- (4) इंडियन रोड कार्रेंस के मानदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य 15 मीटर दूरी छोड़कर निर्माण करना होगा ।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्रमांक :-एफ12(3)(120)राजस्व/13/ 5290

दिनांक :- 02-09-2014

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1- तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ ।

2- सरपंच ग्राम पंचायत गुरुसर मोडिया ।

3- शाह सतनाम जी गर्ल्स कालेज श्री गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर

LAND CONVERSION DOCUMENTS

प्रारूप-(ख)
(देखिए नियम 9 (3), (4) और (6)
कार्यालय जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर
क्रमांक :-एफ12(3)(37)राजस्व /12/ 4051

दिनांक :- 08/07/2013

-: संपरिवर्तन आदेश :-

प्रार्थी शाह सतनाम जी रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट फाउंडेशन, सिरसा (हरियाणा) के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम-2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन [शैक्षणिक] के लिए संपरिवर्तित किया जाता है । जिसकी विशिष्टिया नीचे दी गई है:-

1-आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	शाह सतनाम जी रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट फाउंडेशन, सिरसा (हरियाणा)
2-क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	नहीं
3-संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :- (क) ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	26 एम.ओ.डी., ग्राम पंचायत गुरुसरमोडिया, तहसील सूरतगढ़
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हैक्टर/बीघा में)	प0नं0 15/261 के मु0 नं0 20 के किला नं0 13/.253, 18/.253, एवं 23/2 की 0.127, कुल 0.633 हैक्टर
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल में उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर/बीघा में)	प0नं0 15/261 के मु0 नं0 20 के किला नं0 13/.253, 18/.253, एवं 23/2 की 0.127, कुल 0.633 हैक्टर
4 संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक
5 संदय प्रीमियम की दर	10 /- प्रति वर्गमीटर
6 चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की रकम	चालान नं0 1989 दिनांक 15.01.2013 के द्वारा प्रीमियम 253200/- एवं शास्ति रुपये 189900/- कुल 253200/- जमा कराये गये ।
7 चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	चालान नं0 1989 दिनांक 15.01.2013 के द्वारा शास्ति रुपये 189900/- एवं प्रीमियम 253200/- कुल 253200/- जमा कराये गये ।

जिला कलेक्टर
श्री गंगानगर

LAND CONVERSION DOCUMENTS

8 चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज,यदि कोई हो,की जमा कराई गई रकम	नहीं
9 क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
10 अन्य विशिष्टियां,यदि कोई हो	नहीं

11-उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

1)उपर्युक्त अकृषिक { शैक्षणिक } प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) आवेदक को इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करना होगा । यदि आवेदक पांच वर्ष की अवधि में संपरिवर्तित प्रयोजन उद्देश्य हेतु भूमि का उपयोग नहीं कर पाता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जाएगा ।

(3) नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा ।

(4) इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से 15 मीटर दूरी छोड़कर निर्माण करना होगा तथा

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक :- 08/03/2017

क्रमांक :- एफ12(3)(92)राजस्व/12/ 4054

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1- तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ ।

2- सरपंच ग्राम पंचायत गुरुसरमोडिया ।

3- शाह सतनाम जी रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट फाउंडेशन, सिरसा (हरियाणा)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर